


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिक के नाम के सामने विवरण अंकितानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा अनुसार पदोन्नति प्रदान करते हुए पूर्व वर्षों से यथा पूर्व वर्ष की डीपीसी में चयन एवं अन्य कारणों के फलस्वरूप पूर्व से ही आर. आर. व्याख्याता के पद पर कार्यरत होने के कारण, निम्नांकित कार्मिकों के नाम के आगे संदर्भ के अनुसार पदस्थापन आदेश एतद् द्वारा यथावत के आदेश प्रस्तारित किये जाते हैं।

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष	नाम कार्मिक पद पदस्थापन स्थान	चयन वर्ष विवरण	विवरण
1	529/ 2010-11	शांति लाल मीणा व्याख्याता- इतिहास राबाउमावि वजीरपुर - टोंक	शिविरा-मा/संस्था/ सी-2/ इतिहास/रिव्यू रिरि/16-17/2016 दिनांक 30.08.16 शिविरा-माध्य/संस्था/सी-ओए/6004 /चयन/ 2017-18 दिनांक 12.07.17 के द्वारा चयन वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी चयन	कार्मिक पूर्व से ही आर आर डीपीसी 2016-17 इतिहास में कार्यरत होने के कारण डीपीसी वर्ष 2017-18 में पदस्थापन यथावत।
2	5076/ 2010-11	बलराज उपमन्यु व्याख्याता- इतिहास महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहूनगर- सवाई माधोपुर	शिविरा-मा/संस्था/ सी-2/ इतिहास/रिव्यू रिरि/16-17/2016 दिनांक 17.01.17 शिविरा-माध्य/संस्था/ सी-ओए/6004 /चयन/ 2017-18 दिनांक 12.07.17 के द्वारा चयन वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी चयन	कार्मिक पूर्व से ही आर आर डीपीसी 2016-17 इतिहास में कार्यरत होने के कारण डीपीसी वर्ष 2017-18 में पदस्थापन यथावत।

सम्बन्धित तत्काल पोलेना करावें।


20.11.21
(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक- 20/11/2021

क्रमांक- शिविरा-मा/संस्था/सी-2/इतिहास/डीपीसी-2017-18/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत-

1. शासन सचिव-शिक्षा, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(गुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक- समस्त मण्डल
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
7. सिस्टम एनालिस्ट-कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने बाबत।
8. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण पर संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेंगे।
9. सहायक सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/डीपीसी अनुभाग
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिक के नाम के सामने विवरण अंकितानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा अनुसार पदोन्नति प्रदान करते हुए पूर्व वर्षों से यथा पूर्व वर्ष की डीपीसी में चयन एवं अन्य कारणों के फलस्वरूप पूर्व से ही आर. आर. व्याख्याता के पद पर कार्यरत होने के कारण, निम्नांकित कार्मिकों के नाम के आगे संदर्भ के अनुसार पदस्थापन आदेश एतद् द्वारा यथावत के आदेश प्रस्तारित किये जाते हैं।

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष	नाम कार्मिक पद पदस्थापन स्थान	चयन वर्ष विवरण	विवरण
1	1132-2/ 2008-09	अशोक कुमार व्याख्याता-वाणिज्य राबाउमावि चिड़ावा झुंझुनूं	शिविरा-मा/ संस्था/सी-2/वाणिज्य/ रिव्यू रिरि/16-17/2016 दिनांक 29.08.2016 एवं शिविरा-माध्य/ संस्था/सी-ओए/ 6004/चयन/ 2017-18 दिनांक 12.07.17	कार्मिक पूर्व से ही आर आर डीपीसी 2016-17 इतिहास में कार्यरत होने के कारण डीपीसी वर्ष 2017-18 में पदस्थापन यथावत।
2	1137-2/ 2008-09	राजेन्द्र प्रसाद व्याख्याता- वाणिज्य शहीद कर्नल जेपी जानू राउमावि, झुंझुनूं	शिविरा-मा/ संस्था/सी-2/वाणिज्य/ रिव्यू रिरि/16-17/2016 दिनांक 29.08.2016 एवं शिविरा-माध्य/ संस्था/सी-ओए/ 6004/चयन/ 2017-18 दिनांक 12.07.17	कार्मिक पूर्व से ही आर आर डीपीसी 2016-17 इतिहास में कार्यरत होने के कारण डीपीसी वर्ष 2017-18 में पदस्थापन यथावत।

सम्बन्धित तत्काल पालना करावें।




(काना राम)

आई.ए.एस.
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक-22/11/2021

क्रमांक- शिविरा-मा/संस्था/सी-2/वाणिज्य/डीपीसी-2017-18/2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत-

1. शासन सचिव-शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
7. सिस्टम एनालिस्ट-कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने बाबत।
8. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण पर संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेंगे।
9. सहायक सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/डीपीसी अनुभाग
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर